

अध्याय सारांश

यह अध्याय धन कर और ब्याज कर के बारे में निर्धारणों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को समाविष्ट करते हुए क्रमशः दो भाग क और ख का बना हुआ है।

धन कर निर्धारितियों की संख्या 2005-06 में 99,694 से घटकर 2006-07 में 57,772 हो गई यद्यपि धन कर विधि में कोई बड़े संशोधन नहीं किये गये हैं।

(पैराग्राफ 5.1)

लेखापरीक्षा ने विभिन्न अनियमिताओं, चूकों और गलतियों का उल्लेख करते हुए 77 अभ्युक्तियाँ (धन कर और ब्याज कर से संबंधित क्रमशः 70 और सात अभ्युक्तियाँ) टिप्पणियों के लिए वित्त मंत्रालय को जारी कि जिसमें 34.05 करोड़ रूपये (धन कर में 2.14 करोड़ रूपये और ब्याज कर में 31.91 करोड़ रूपये) का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। मंत्रालय ने 7 दिसम्बर 2007 तक 25 अभ्युक्तियाँ (धन कर में 22 और ब्याज कर में तीन) स्वीकार की जिसमें 4.66 करोड़ रूपये (धन कर में 34.48 लाख रूपये और ब्याज कर में 4.31 करोड़ रूपये) का राजस्व अन्तर्ग्रस्त था।

(पैराग्राफ 5.4, 5.5, 5.12 और 5.13)

निर्धारण अधिकारियों ने निम्नलिखित नहीं किया

- ◆ धन कर निर्धारणों के अभिलेखों के साथ आय कर निर्धारण अभिलेखों का सहसम्बन्ध रखने के परिणामस्वरूप 52 मामलों में कुल 1.82 करोड़ रूपये के ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।
(पैराग्राफ 5.6.3)
- ◆ विभिन्न गलतियों के लिए सही प्रकार से ब्याज के उद्ग्रहण के परिणामस्वरूप चार मामलों में 8.87 लाख रूपये के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ।
(पैराग्राफ 5.7.3)
- ◆ निर्धारिती के निवल धन में करयोग्य परिसम्पत्तियों के शामिल करने के परिणामस्वरूप पाँच मामलों में 7.24 लाख रूपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।
(पैराग्राफ 5.8.2)
- ◆ परिसम्पत्तियों के सही मूल्यांकन को सुनिश्चित करने और निवल धन में करयोग्य परिसम्पत्तियों के शामिल करने के परिणामस्वरूप दो मामलों में 4.65 लाख रूपये के धन कर का कम उद्ग्रहण हुआ।
(पैराग्राफ 5.9.2)
- ◆ सात मामलों में सही प्रकार से 31.91 करोड़ रूपये का ब्याज कर का उद्ग्रहण हुआ।
(पैराग्राफ 5.11)

2008 की प्रतिवेदन सी ए 8 (प्रत्यक्ष कर)

अध्याय V: अन्य प्रत्यक्ष कर

क - धन कर

- निर्धारितियों की संख्या** **5.1** 31 मार्च 2006 और 2007 को आय कर विभाग के अभिलेखों के अनुसार धन कर निर्धारितियों की संख्या क्रमशः 99,694 और 57,772 थी। 31 मार्च 2007 को जब तुलना 31 मार्च 2006 के आँकड़ों से की गई तो धनकर निर्धारितियों की संख्या में तीव्रता से गिरावट आई (42 प्रतिशत)। मंत्रालय को निर्धारितियों की संख्या में तीव्र गिरावट के कारणों की जाँच-पड़ताल करने की आवश्यकता है।
- धन कर से प्राप्तियाँ** **5.2** 2006-07 के दौरान, धन कर प्राप्तियाँ प्रत्यक्ष कर संग्रहण का 0.1 प्रतिशत बनती हैं। 2006-07 में धन कर का संग्रहण 10.02 करोड़ रुपये की कमी होते हुए 2005-06 में 250.35 करोड़ रुपये की तुलना में 240.33 करोड़ रुपये था। इस प्रतिवेदन के अध्याय II की तालिका संख्या 2.3 में ब्यौरा दिया गया है।
- निर्धारणों की प्रास्थिति** **5.3** इस प्रतिवेदन के अध्याय II की तालिका संख्या 2.13 में निपटान के लिए देय, पूर्ण हुए और बकाया धन कर निर्धारणों के ब्यौरे शामिल हैं। गत पाँच वर्षों के दौरान शेष रही असंग्रहीत माँगों के ब्यौरे इस प्रतिवेदन के अध्याय II की तालिका संख्या 2.12 में दिये गये हैं।
- लेखापरीक्षा के परिणाम** **5.4** लेखापरीक्षा ने मई 2007 और अक्टूबर 2007 के मध्य वित्त मंत्रालय को उनकी टिप्पणियों के लिए 70 ड्राफ्ट पैराग्राफ जारी किये जिसमें 2.14 करोड़ रुपये के धन कर का अवप्रभार अन्तर्ग्रस्त था। विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा ने इन मामलों में से मात्र चार का अवलोकन किया और बताई गई गलतियों को उनके द्वारा सूचित नहीं किया गया।
- 5.4.1** मंत्रालय को जारी किये गये 70 ड्राफ्ट पैराग्राफ में से 62 ड्राफ्ट पैराग्राफों को इस अध्याय में शामिल किया गया है जिसमें 2.03 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है। प्रत्येक पैराग्राफ गलतियों की विशेष श्रेणी को दर्शाता है और समान स्वरूप की सभी अभ्युक्तियों के संयुक्त/समेकित राजस्व प्रभाव के बाद उपयुक्त प्रस्तावना सहित प्रारम्भ होता है। पाँच लाख रुपये या उससे अधिक के धन मूल्य वाले मामलों को अध्याय के मुख्य भाग में सोदाहरण दिया गया है जबकि तीन लाख रुपये या उससे अधिक लेकिन प्रत्येक पाँच लाख रुपये से कम वालों को संबंधित श्रेणी के अन्तर्गत तालिका में दिया गया है।

मंत्रालय के
उत्तर की
प्रास्थिति

5.5 इस अध्याय में शामिल किये गये 62 मामलों में से वित्त मंत्रालय ने 22 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया जिसमें 34.48 लाख रुपये का कुल राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। एक मामलों में मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया। शेष मामलों में, 7 दिसम्बर 2007 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। मंत्रालय का उत्तर जहाँ प्राप्त हुआ, वहाँ जाँच की गई और उपयुक्त रूप से समावेशित किया गया।

विभिन्न
प्रत्यक्ष करों
के
अभिलेखों
का सह
संबंध न
होने के
कारण
निर्धारित न
किया गया
धन

5.6 निर्धारण अभिलेखों का सह संबंध न होना

5.6.1 बोर्ड ने विभिन्न प्रत्यक्ष करों से संबंधित निर्धारण अभिलेखों के मध्य उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए और आय कर एवं धन कर निर्धारण मामलों के समकालिक निपटान के लिए निर्धारण अधिकारियों को अनुदेश जारी किये (नवम्बर 1973, अप्रैल 1979 और सितम्बर 1984) जिससे कर का कोई अपवंचन न हो।

5.6.2 कर को प्रभार्य निवल धन में मूल्यांकन की तारीख को किसी भी विशिष्ट परिसम्पत्तियों के संबंध में निर्धारिती द्वारा स्वयम् धारित किसी ऋण के समायोजन के अध्यक्षीन धन कर अधिनियम की धारा 2 (ईए) के अन्तर्गत निर्दिष्ट² कतिपय परिसम्पत्तियाँ समाविष्ट होती हैं।

5.6.3 अन्य प्रत्यक्ष करों के साथ आय कर निर्धारण अभिलेखों के सहसंबंध न होने के परिणामस्वरूप आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ और पश्चिम बंगाल प्रभागों में **52 मामलों** में कुल **1.82 करोड़ रुपये** के धन कर का अनुदग्रहण हुआ। **पाँच मामलों** को सोदाहरण नीचे दिया गया है:

² विशिष्ट परिसम्पत्तियों में निम्नलिखित मदें शामिल होती हैं :

- कोई भवन अथवा उसकी आनुषंगिक भूमि जिसका उपयोग रिहाशयी प्रयोजनों के लिए या अतिथि गृह के अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए किया गया हो अन्यथा रूप से किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से पच्चीस किलोमीटर के अन्दर स्थित फार्म हाऊस शामिल है,
- मोटर कार (भाड़े पर या भंडार माल के रूप में उनके द्वारा चलाए जाने वाले कारबार में निर्धारिती द्वारा प्रयुक्त होने वालों के अलावा),
- सम्पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सोना, चांदी, प्लेटिनम या अन्य कोई बहुमूल्य धातु या ऐसी बहुमूल्य धातुओं के एक या उससे अधिक को अन्तर्विष्ट करते हुए किसी मिश्र धातु से बनी हुई ज्वैलरी, बुलियन, फर्नीचर, बरतन या अन्य कोई वस्तु,
- यॉट, नाव और एयर क्रफ्टस (वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा प्रयुक्त होने वालों के अलावा),
- शहरी भूमि और
- रोकड़ शेष, व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के पचास हजार रुपये से अधिक और अन्य व्यक्तियों के बारे में कोई राशि जिसका लेखा पुस्तकों में अभिलेख नहीं किया गया हो।

5.6.4 महाराष्ट्र, सीआईटी I, मुम्बई प्रभार में निर्धारण वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2001-02 के लिए एक कम्पनी **मैसर्स हाईराइज प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड** का आयकर निर्धारण 29.98 लाख रुपये, 80.78 लाख रुपये एवं 75.46 लाख रुपये की आय अवधारित करते हुए क्रमशः नवम्बर 2003, नवम्बर 2003 तथा फरवरी 2004 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि निर्धारिती ने वाणिज्यिक सम्पत्तियों से इन निर्धारण वर्षों के लिए सुसंगत पूर्व वर्षों के दौरान 40.20 लाख रुपये, 1.08 करोड़ रुपये और 1.07 करोड़ रुपये की किराया आय प्राप्त की थी जो धन कर को प्रभार्य थी। तथापि, न तो निर्धारिती ने इसकी निवल धन की विवरणी दाखिल की और न ही विभाग ने कोई धन कर कार्रवाई प्रारम्भ की जिसके परिणामस्वरूप कुल 60.61 लाख रुपये (ब्याज सहित) के धन कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

5.6.5 महाराष्ट्र, सीआईटी सैन्ट्रल 1, मुम्बई प्रभार में निर्धारण वर्ष 2001-02 के लिए एक कम्पनी **मैसर्स रामा कैमिकल इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड** का आय कर निर्धारण संवीक्षा के पश्चात् मार्च 2004 में पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2001-02 को सुसंगत पिछले वर्ष के दौरान 77.85 लाख रुपये की किराया आय एवं 7.81 करोड़ रुपये की प्रतिभूति जमा प्राप्त की थी। तथापि, निर्धारिती का धनकर अधिनियम के अन्तर्गत धन कर के लिए निर्धारण नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 30.44 लाख रुपये (ब्याज सहित) के धन कर के परिणामी कम उद्ग्रहण सहित 20.47 करोड़ रुपये के धन का अवनिर्धारण हुआ।

5.6.6 महाराष्ट्र, सीआईटी 7, मुम्बई प्रभार में निर्धारण वर्ष 1999-2000 एवं 2000-01 के लिए एक कम्पनी **मैसर्स रसिकलाल एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड** का आय कर निर्धारण क्रमशः 7.59 लाख रुपये और 18.38 लाख रुपये की आय अवधारित करते हुए संवीक्षा के पश्चात् जनवरी 2005 में पूरा हुआ था। आयकर निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि निर्धारिती को क्रमशः 21.77 लाख रुपये और 28.02 लाख रुपये की भांडागारण प्राप्तियों के कारण आय प्राप्त हुई थी जिसका निर्धारण गृह सम्पत्ति से आय के रूप में किया गया। निर्धारिती को इन निर्धारण वर्षों के लिए इस सम्पत्ति के संबंध में 23.50 लाख रुपये एवं 22.00 लाख रुपये की ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा भी प्राप्त हुई थी। तथापि, न तो निर्धारिती ने इसकी निवल धन की विवरणी दाखिल की और न ही विभाग ने कोई धन कर कार्रवाई प्रारम्भ की जिसके परिणामस्वरूप कुल 5.89 करोड़ रुपये के धन का अवनिर्धारण हुआ जिसमें 10.35 लाख रुपये (ब्याज सहित) के धन कर का कम उद्ग्रहण अन्तर्ग्रस्त था।

5.6.7 पश्चिम बांगल, सीआईटी I, कोलकाता प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2003-04 के लिए एक कम्पनी **मैसर्स मार्शल सन्स एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड** का आयकर निर्धारण संवीक्षा के पश्चात् मार्च 2006 में पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि निर्धारिती को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पट्टे पर दिये गये फ़ैक्टरी भवन से 60 लाख रुपये की किराया आय हुई थी। क्योंकि भवन का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया गया था इसलिए प्राप्त हुआ/प्राप्य वार्षिक किराया धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 2 (ईए) के अन्तर्गत धन कर के अध्यधीन था और इसके मूल्य का अवधारण अधिनियम की अनूसूची III भाग ख के प्रावधान के अनुसार किया जाना चाहिए। इसलिए निर्धारिती निर्धारण वर्ष 2003-04 के लिए धन कर का भुगतान करने के लिए दायी था। तथापि, न तो निर्धारिती ने

2008 की प्रतिवेदन सी ए 8 (प्रत्यक्ष कर)

धन की कोई विवरणी दाखिल की और न ही विभाग ने धन कर कार्रवाईयाँ प्रारम्भ की जिसके परिणामस्वरूप कुल 5.23 करोड़ रुपये के धन का अवनिर्धारण हुआ जिसमें 6.85 लाख रुपये (ब्याज सहित) के धन कर का अनुद्ग्रहण अन्तर्ग्रस्त था।

5.6.8 तमिलनाडु, सीआईटी III, चेन्नई प्रभार में निर्धारण वर्ष 2001-02 और 2002-03 के लिए एक कम्पनी मैसर्स आरकेकेआर स्टील्स लिमिटेड का आयकर निर्धारण "निरन्क" आय अवधारित करते हुए क्रमशः दिसम्बर 2004 एवं मार्च 2005 में संक्षिप्त/संवीक्षा रीति में पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि निर्धारिती 2.68 करोड़ रुपये मूल्य की पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि का मालिक था। इसलिए, निर्धारिती इन निर्धारण वर्षों के लिए धन कर का भुगतान करने के लिए दायी था। तथापि, न तो निर्धारिती ने धन की कोई विवरणी दाखिल की और न ही विभाग ने धन कर कार्यवाहियाँ प्रारम्भ कीं। इसके परिणामस्वरूप कुल 2.53 करोड़ रुपये के धन का अवनिर्धारण हुआ जिसमें 5.06 लाख रुपये के धन कर का अनुद्ग्रहण अन्तर्ग्रस्त था।

5.6.9 पांच मामले नीचे तालिका संख्या 5.3 में दर्शाए गए हैं

(लाख रुपये में)

तालिका संख्या 5.3: निर्धारण अभिलेखों का सहसंबंध न होना

क्रम संख्या	निर्धारिती का नाम/सीआईटी प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार/माह	गलती का स्वरूप	राजस्व प्रभाव
1	मैसर्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड सीआईटी I, कोलकाता	2003-04	संवीक्षा मार्च 2006	निर्धारिती को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किराये पर दिये गये फ़ैक्टरी भवन और गोदाम से 35.35 लाख रुपए की किराया आय हुई थी और इसका निर्धारण शीर्ष "गृह सम्पत्ति से आय" के अन्तर्गत किया गया था। इस प्रकार प्राप्त हुई वार्षिक किराया आय धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 2 (ईए) के अन्तर्गत धन कर के अध्यधीन थी और इसके मूल्य का अवधारण अधिनियम की अनुसूची III के प्रावधान के अनुसार किया जाना चाहिए जो कि नहीं किया गया था।	4.33
2	मैसर्स श्री वासवी होटल्स एण्ड, प्रोपर्टीज (पी) लिमिटेड, सीआईटी III, हैदराबाद	2001-02 2002-03	संवीक्षा सितम्बर 2004	निर्धारिती कम्पनी के अधिकार में निर्धारण वर्ष 2001-02 और 2002-03 के लिए खाली भूमि के रूप में क्रमशः 1.34 करोड़ रुपये और 1.35 करोड़ रुपये के सकल धन जिस पर धन कर के अधिनियम के प्रावधान लागू थे, तथापि इसे धन कर के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था।	4.18

क्रम संख्या	निर्धारिती का नाम/सीआईटी प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार/माह	गलती का स्वरूप	राजस्व प्रभाव
3	मैसर्स क्राऊज टिम्बरस एण्ड (पी) लिमिटेड, सीआईटी III, कोलकाता	2003-04 2004-05	सारांश मार्च 2003 मार्च 2004	निर्धारिती को निर्धारण वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान क्रमशः 18.94 लाख रुपये एवं 19.22 लाख रुपये की किराया आय हुई थी। प्राप्त हुई वार्षिक किराया आय धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 2 (ईए) के अन्तर्गत धन कर के अध्यधीन थी और इसके मूल्य का अवधारण अधिनियम की अनुसूची III के प्रावधान के अनुसार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया गया था।	3.85
4	श्री एवी ज्वाय सीआईटी, ऐरनाकुलम	2002-03 2003-04	सारांश जनवरी 2005 मार्च 2006	निर्धारिती निर्धारण वर्ष 2002-03 और 2003-04 के लिए 1.40 करोड़ रुपये मूल्य की शहरी भूमि का मालिक था जिसके धन कर के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था।	3.40
5	मैसर्स अमीगो सिक्वोरिटीज (पी) लिमिटेड, सीआईटी, बड़ोदा	2001-02 2002-03	सारांश अक्तूबर 2002 मार्च 2003	निर्धारिती के पास निर्धारण वर्ष 2001-02 और 2002-03 के लिए क्रमशः 1.65 करोड़ रुपये एवं 1.73 करोड़ रुपये मूल्य की वाणिज्यिक भूमि थी जो भंडार माल के स्वरूप में नहीं थी। इस प्रकार, इस पर धन कर अधिनियम के प्रावधान लागू थे, लेकिन इसे धन कर के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था।	3.07

5.6.10 मंत्रालय ने उपर्युक्त तालिका संख्या 5.3 के क्रम संख्या 2 और 3 पर मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया है (अक्तूबर 2007)।

5.7 ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियाँ

ब्याज का अनुद्ग्रहण/ कम उद्ग्रहण

5.7.1 धन कर अधिनियम, 1957 में प्रावधान है कि जहाँ किसी निर्धारण वर्ष के लिए निवल धन की विवरणी विनिर्दिष्ट नियत तारीख के पश्चात प्रस्तुत की गई है या प्रस्तुत नहीं की गई है वहाँ निर्धारिती नियत तारीख के तत्काल बाद की तारीख से विवरणी के दाखिल करने की तारीख तक या जहाँ कोई विवरणी दाखिल नहीं की गई है वहाँ नियमित निर्धारण के पूरा होने की तारीख तक प्रत्येक माह अथवा माह के किसी भाग के लिए नियमित निर्धारण में अवधारित कर की राशि पर एक प्रतिशत (मई 1999 तक दो प्रतिशत, मई 2001 तक डेढ़ प्रतिशत और 7 सितम्बर 2003 तक सवा प्रतिशत) की दर पर साधारण ब्याज के भुगतान का दायी होगा।

5.7.2 कर की मांग का अधिनियम में उल्लिखित समय के अन्दर निर्धारिती द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। ऐसा करने में विफल होने पर चूक की तारीख से माँग के भुगतान की वास्तविक तारीख तक प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए एक प्रतिशत की दर पर ब्याज लगेगा। कर के विलम्बित भुगतान के लिए ब्याज का परिकलन किया जाना अपेक्षित था और कर माँग के अन्तिम भुगतान की तारीख के एक सप्ताह के अन्दर प्रभारित किया जायेगा।

5.7.3 निर्धारण अधिकारियों ने उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया अथवा उन्हें सही प्रकार से लागू नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप बिहार, दिल्ली और पश्चिम बंगाल प्रभागों में **चार मामलों** में कुल **8.87 लाख रुपये** के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। **दो मामले** नीचे **तालिका संख्या 5.4** में दिखाये गये हैं:

(लाख रुपये में)

तालिका संख्या 5.4: ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियाँ					
क्रम संख्या I	निर्धारिती का नाम/सीआईटी प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार/माह	गलती का स्वरूप	राजस्व प्रभाव
1	श्री एस के बंसल, सीआईटी सेन्द्रल, पटना	2000-01 2001-02	सर्वोत्तम निर्णय मार्च 2005,	विवरणियों के दाखिल न करने में कुल 4.14 लाख रुपये के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ था।	4.14
2	मैसर्स केदार नाथ फतेहपुरिया, सीआईटी II, कोलकाता	2000-01 2001-02	संवीक्षा फरवरी 2005 मार्च 2005	विवरणियों के प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिए 3.60 लाख रुपये के ब्याज का कुल कम उद्ग्रहण	3.60

5.7.4 मंत्रालय ने उपर्युक्त **तालिका संख्या 5.4** के **क्रम संख्या 2** पर मामले में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया है (दिसम्बर 2007)।

5.8 निर्धारण से छूट गया धन

निवल धन में करयोग्य परिसम्पत्तियों का शामिल न करना

5.8.1 धन कर अधिनियम, 1957 में प्रावधान है कि निर्धारण वर्ष 1993-94 से "परिसम्पत्तियों" में अन्य बातों के साथ-साथ अतिथि गृह एवं सभी रिहायशी भवनों, शहरी भूमि, भाड़े पर या भंडार माल के रूप में उनके द्वारा चलाये जाने वाले कारखार में प्रयुक्त होनेवालों के अलावा मोटर कारों को शामिल किया जाता है।

5.8.2 निर्धारण अधिकारियों ने केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु प्रभागों में पाँच मामलों में ऐसी करयोग्य परिसम्पत्तियों को शामिल नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप कुल **7.24 लाख रुपये** के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

5.9 परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन में गलतियाँ

5.9.1 धन कर अधिनियम, 1957 में प्रावधान है कि नगद के अलावा किसी परिसम्पत्ति के मूल्य का अवधारण अधिनियम की अनुसूची III में विहित रीति में मूल्यांकन तारीख पर किया जाता है।

5.9.2 निर्धारण अधिकारियों ने परिसम्पत्तियों के सही मूल्य को नहीं अपनाया जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल प्रभाग में दो मामलों में **2.93 करोड़ रुपये**, का अवमूल्यांकन हुआ जिसमें **4.65 लाख रुपये** (ब्याज सहित) के धन कर का कम उद्ग्रहण अन्तर्ग्रस्त था। एक मामला नीचे तालिका संख्या 5.5 में दिया गया है:

(लाख रुपए में)

तालिका संख्या 5.5 : परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन में गलती

क्रम संख्या	निर्धारिती का नाम/सीआईटी प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार/माह	गलती का स्वरूप	राजस्व प्रभाव
1	मैसर्स मार्टिन बर्न लिमिटेड सीआईटी II, कोलकाता	1997-98*	संवीक्षा मार्च 2005	लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि 50.28 लाख रुपये के किराये के अतिरिक्त किरायेदारों ने 20.96 लाख रुपये के नगरपालिका करों का भी वहन किया था जिसे धन कर अधिनियम की अनुसूची III के भाग ख के नियम 5 स्पष्टीकरण 1(बी)(i) के अन्तर्गत भवन का पूँजीकृत मूल्य निकालते समय किराया आय में जोड़ा नहीं गया था जिसके परिणामस्वरूप धन का अवनिर्धारण हुआ जिसमें 4.05 लाख रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।	4.05

ख - ब्याज कर

सामान्य 5.10 वित्त अधिनियम, 2000 ने 1 अप्रैल 2000 से ब्याज कर अधिनियम, 1974 को समाप्त कर दिया। इसलिए ब्याज कर 31 मार्च 2000 के पश्चात् उपचित या उद्भूत हुए किसी ब्याज के बारे में प्रभार्य नहीं है। ब्याज कर से राजस्वों के लिए वित्त वर्ष 2000-01 से आगे कोई बजट प्राक्कलन नहीं किये गये हैं। तथापि, लम्बित ब्याज कर निर्धारणों को विलम्ब के बिना पूरा करने की आवश्यकता है।

* संवीक्षा निर्धारण मार्च 2005 में पूरा हुआ था।

लेखापरीक्षा
के परिणाम

5.11 लेखापरीक्षा ने मई 2007 से अक्टूबर 2007 तक टिप्पणियों के लिए वित्त मंत्रालय को सात ड्राफ्ट पैराग्राफ जारी किये जिसमें 31.91 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा ने इन मामलों का अवलोकन नहीं किया था।

5.12 मंत्रालय को जारी सभी सात ड्राफ्ट पैराग्राफों को इस अध्याय में शामिल किया गया है। प्रत्येक पैराग्राफ गलतियों की एक विशेष श्रेणी को दर्शाता है और समान स्वरूप की सभी अभ्युक्तियों के संयुक्त/समेकित राजस्व प्रभाव के बाद उपयुक्त प्रस्तावना सहित प्रारम्भ होता है। 10 लाख रुपये से अधिक के धन मूल्य वाले मामलों को सोदाहरण अध्याय के मुख्य भाग में दिया गया है।

वित्त
मंत्रालय से
प्राप्त हुए
उत्तरों की
प्रास्थिति

5.13 इस अध्याय में शामिल किये गये सात मामलों में से वित्त मंत्रालय ने तीन मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ स्वीकार की जिसमें 4.31 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (7 दिसम्बर 2007 तक) मंत्रालय के उत्तर जहाँ प्राप्त हुए की जाँच की जा चुकी है और उपयुक्त रूप से समावेशित किया गया है।

5.14 अभिलेखों का सह संबंध न होना

5.14.1 बोर्ड ने विभिन्न प्रत्यक्ष करों से संबंधित निर्धारण अभिलेखों के मध्य उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए और आय कर एवं अन्य प्रत्यक्ष कर निर्धारणों के समकालिक निपटान के लिए अनुदेश जारी किये थे (नवम्बर 1973, अप्रैल 1979 और सितम्बर 1984) जिससे कर का कोई अपवंचन न हो।

5.14.2 बोर्ड ने मार्च 1996 में स्पष्ट किया कि भाड़ा क्रय वित्त कम्पनियों के लिए उपचित अथवा उद्भूत हुए "वित्त" प्रभार ब्याज कर को प्रभार्य ब्याज के स्वरूप में है। बोर्ड ने 1998 में पुनः स्पष्ट किया कि यदि संव्यवहार वित्तपोषण संव्यवहारों के स्वरूप में सत्त्व है तो भाड़ा प्रभारों को ब्याज कर के अध्यक्षीन ब्याज आय के रूप में माना जाना चाहिए।

5.14.3 निर्धारण अधिकारियों ने बोर्ड के अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली और तमिलनाडु में **तीन मामलों में 26.53 करोड़ रुपये** के कर का अनुद्ग्रहण हुआ, जैसाकि नीचे चर्चा की गई है:

5.14.4 दिल्ली, सीआईटी VI, प्रभार में निर्धारण वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1999-2000 के लिए एक कम्पनी **मैसर्स मोटर जनरल फाइनेन्स लिमिटेड** का आय कर निर्धारण क्रमशः 73.43 करोड़ रुपए, 87.74 करोड़ रुपए और 6.52 करोड़ रुपए की आय अवधारित करते हुए संवीक्षा के पश्चात् मार्च 2002 में पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि निर्धारिती ने भाड़ा-क्रय प्रभारों और बिल छूट प्रभारों के कारण इन वित्तीय वर्षों में 169.82 करोड़ रुपये की ब्याज आय अर्जित की थी लेकिन इन वर्षों की ब्याज कर विवरणियों को दाखिल नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप 22.64 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) के ब्याज कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

5.14.5 तमिलनाडु, सीआईटी III , चेन्नई प्रभार में निर्धारण वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के लिए एक कम्पनी **मैसर्स पार्क टाउन बेनीफिट फन्ड लिमिटेड** का आय कर निर्धारण क्रमशः 3.51 करोड़ रूपए एवं 19.61 लाख रूपए की आय का अवधारण करते हुए संवीक्षा के पश्चात् मार्च 2005 में पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि निर्धारिती कम्पनी ने क्रमशः 35.84 करोड़ रूपए एवं 32.37 करोड़ रूपए के कर्जों एवं उधारों पर ब्याज प्राप्त किया था। यद्यपि निर्धारिती कम्पनी ब्याज कर विवरणी दाखिल करने के लिए और ब्याज आय पर ब्याज कर का भुगतान करने के लिए दायी थी फिर भी इसने न तो दो निर्धारण वर्षों के लिए अपनी ब्याज कर विवरणी दाखिल की और न ही विभाग ने इस बारे में कोई कार्रवाई प्रारम्भ की। इसके परिणामस्वरूप 68.21 करोड़ रूपये के प्रभार्य ब्याज का अवनिर्धारण हुआ और ब्याज कर विवरणी के दाखिल न करने एवं अग्रिम कर के भुगतान न करने में ब्याज सहित 3.89 करोड़ रूपये के ब्याज कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

5.14.6 मंत्रालय ने उपर्युक्त आपत्ति को स्वीकार कर लिया है (दिसम्बर 2007)।

5.15 प्रभार्य ब्याज के निर्धारण में गलतियाँ

प्रभार्य
ब्याज के
निर्धारण/अ
वनिर्धारण
में गलतियाँ

5.15.1 ब्याज कर अधिनियम, 1974 में प्रावधान है कि बैंकिंग कम्पनी/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान सहित क्रेडिट संस्थान निर्धारण वर्ष 1992-93 से निर्धारण वर्ष 2000-01 तक उनकी ब्याज आय पर ब्याज कर को प्रभार्य थे। कर को प्रभार्य ब्याज आय में कर्जों एवं उधारों पर ब्याज, किसी संस्वीकृत क्रेडिट के अप्रयुक्त भाग पर वचनबद्धता प्रभारों और वचन पत्रों एवं विनिमय पत्र पर छूट को शामिल किया गया।

5.15.2 निर्धारण अधिकार्यों ने सही प्रकार से उपर्युक्त प्रावधानों को लागू नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप महाराष्ट्र में दो मामलों में **4.96 करोड़ रूपये** के ब्याज कर का कम कम उद्ग्रहण हुआ जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

5.15.3 महाराष्ट्र, सीआईटी 3, मुम्बई प्रभार में निर्धारण वर्ष 1999-00 और 2000-01 के लिए एक बैंकिंग कम्पनी **मैसर्स आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड** का ब्याज कर निर्धारण संवीक्षा के पश्चात् क्रमशः मार्च 2002 और मार्च 2003 में पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि प्रभार्य ब्याज आय की संगणना करते समय निर्धारिती ने ब्याज जो इस पर उपचित हुआ था से 177.19 करोड़ रूपये (निर्धारण वर्ष 1999-2000 में 85.98 करोड़ रूपये और निर्धारण वर्ष 2000-01 में 91.21 करोड़ रूपये) के ब्याज कर की राशि को कम किया था और इसे निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमत किया गया था। क्योंकि ब्याज कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ब्याज को छोड़कर कोई कटौती जो अशोध्द सिद्ध कर दी जाती है स्वीकार्य नहीं है इसलिए कथित ब्याज कर घटक को वापिस जोड़ा जाना चाहिए था। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप 4.85 करोड़ रूपये (ब्याज सहित) के ब्याज कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

5.15.4 महाराष्ट्र, सीआईटी 10, मुंबई प्रभार में निर्धारण वर्ष 2000-01 के लिए एक कम्पनी **मैसर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड** का ब्याज कर निर्धारण 249.03 करोड़ रुपये पर प्रभार्य ब्याज आय का अवधारण करते हुए ब्याज कर अधिनियम की धारा 8(2) के अन्तर्गत मार्च 2003 में पूरा हुआ था। तदनन्तर, निर्धारण 127.86 करोड़ रुपये का प्रभार्य ब्याज अवधारित करते हुए सितम्बर 2003 में संशोधित किया गया था। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि निर्धारिती ने पट्टे पर देने और वित्तीय संव्यवहारों के बारे में 5.72 करोड़ रुपये के "विलम्बित भुगतान प्रभारों" की वसूली की थी। क्योंकि ये प्रभार वित्त प्रभारों से सम्बन्धित थे इसलिए इन्हें प्रभार्य ब्याज आय में, शामिल किया जाना अपेक्षित था। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप 5.72 करोड़ रुपये की प्रभार्य ब्याज आय का अवनियोजन हुआ जिसमें 11.43 लाख रुपये के ब्याज कर का कम उद्ग्रहण अन्तर्गत था।

5.16 ब्याज कर के प्रतिदाय पर ब्याज का अधिक प्रदान करना

5.16.1 ब्याज कर अधिनियम, 1961 की धारा 244ए के साथ पठित ब्याज कर अधिनियम, 1974 की धारा 21 में प्रावधान है कि जहाँ प्रतिदाय निर्धारिती को देय है वहाँ निर्धारिती निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल की तारीख से उस तारीख तक जिस पर प्रतिदाय प्रदान किया गया है तक की अवधि वाले माह के भाग अथवा प्रत्येक माह के लिए निर्धारित दर पर उस पर साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा।

5.16.2 निर्धारण अधिकारी ने सही प्रकार से उपर्युक्त प्रावधान को लागू नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप **एक मामले में 38.60 लाख रुपये** का ब्याज अधिक प्रदान किया गया जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

5.16.3 महाराष्ट्र, सीआईटी 1, मुंबई प्रभार में निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए एक कम्पनी **मैसर्स लाइफ इन्श्योरेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया** का ब्याज कर निर्धारण आईटीएटी के आदेश को लागू करते हुए ब्याज कर के 5.29 करोड़ रुपये के प्रतिदाय को अनुमत करने के पश्चात् 1606.50 करोड़ रुपये के प्रभार्य ब्याज का अवधारण करते हुए नवम्बर 2004 में पूरा हुआ था। इस कथित आदेश को कर के नियमित भुगतान जिसे पहले अनुमत नहीं किया गया था, के लिए क्रेडिट की अनुमति के लिए आदेश में ब्याज कर अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत जनवरी 2005 में परिशोधित किया गया था। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि 1 अप्रैल 1998 से 31 जनवरी 2005 तक की अवधि के प्रतिदाय पर देय ब्याज की संगणना करते समय निर्धारण अधिकारी ने 72.22 करोड़ रुपये के स्वीकार्य ब्याज के प्रति 72.61 करोड़ रुपये के ब्याज के रूप में अनुमति दी। गलत अनुमति के परिणामस्वरूप निर्धारिती को 38.60 लाख रुपये के ब्याज का अधिक भुगतान हुआ।

5.16.4 मंत्रालय ने उपर्युक्त आपत्ति को स्वीकार कर लिया है (दिसम्बर 2007)।

ब्याज का
अनुद्ग्रहण/
कम
उद्ग्रहण

5.17 ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियाँ

5.17.1 ब्याज कर अधिनियम, 1974 में प्रावधान है कि पूर्व में ब्याज कर भुगतानों में चूक और कमी, उद्भूत माँग का भुगतान करने में विलम्ब और विवरणियों के दाखिल करने में चूक/विलम्ब के लिए ब्याज उस रीति में और उसी दर पर उद्ग्राह्य है जैसा कि आय कर अधिनियम के अन्तर्गत समान स्वरूप की चूकों के लिए है।

5.17.2 निर्धारण अधिकारी ने इस प्रावधान का अनुपालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु में एक मामले में **3.07 लाख रुपये** के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

5.17.3 मंत्रालय ने उपर्युक्त अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है (दिसम्बर 2007)।

नई दिल्ली
दिनांक:

(सुधा कृष्णन)
प्रधान निदेशक प्राप्ति लेखापरीक्षा
(प्रत्यक्ष कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक:

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक